मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–071/2024

1. पूर्णराम पुत्र जगदीश चन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

1. गुड्डी देवी पत्नी जगदीश चन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :–22.07.2024

वादी की ओर से श्री अब्दुल सतार जोईया अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुखवीर सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.07.2024 को स्वाति गुप्ताआर.ए.एस. पदेन सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि गुड्डीदेवी के नाम से चक नम्बर 8 सी.डी.आर. खाता संख्या 42/42 के पत्थर नम्बर 218/251(48) किला नम्बर 16/1/0.126, पत्थर नम्बर 219/251(47) किला नम्बर 11, 12, 19, 20 कुल 1.1380 हैक्टर आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 8 सी.डी.आर. खाता संख्या 42/42 में से प्रतिवादी संख्या 1 गुड्डीदेवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.03 14:01:11 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी